महानिदेशक, स्कूल शिक्षा

एवं

राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा, विद्या भवन निशातगंज, लखनऊ –226007

वेब-साइट: www.basiceducation.up.gov.in, www.upefa.com ई-मेल upefaspo@gmail.com दूरभाष 0522 4024440 2780384 781128

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

पत्रांक: सामु0सह0 / वार्षिकोत्सव / 7500 / 2025–26 लखनऊः दिनांकः 01.01/2026

विषयः परिषदीय विद्यालयों में (पी0एम0 श्री विद्यालयों को छोड़कर) विद्यालय प्रबन्ध समिति के नेतृत्व में वार्षिकोत्सव एवं खेल उत्सव आयोजित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में (पी0एम0 श्री विद्यालयों को छोड़कर) बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालयों में नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव में वृद्धि के साथ ही विद्यालयों से आत्मीयता, बच्चों में आत्मविश्वास, अनुशासन एवं टीम वर्क की भावना विकसित करने तथा विद्यालयों से अभिभावकों / समुदाय की भागीदारी के उद्देश्य से वार्षिकोत्सव एवं खेल उत्सव का आयोजन दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक कराया जाना है।

1. **विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध समिति के नेतृत्व में वार्षिकोत्सव के आयोजन हेतु निर्देश–**

1) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर विद्यालय प्रबन्ध समिति के नेतृत्व में वार्षिकोत्सव के आयोजन की रूप–रेखा तय करेंगे।
2) समस्त खंड शिक्षा अधिकारी अपने–अपने विकास खण्ड के समस्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के साथ विद्यालय प्रबन्ध समिति के नेतृत्व में वार्षिकोत्सव हेतु तैयारी बैठक करेंगें।
3) समस्त परिषदीय एवं कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में वार्षिकोत्सव से पूर्व विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक का आयोजन किया जायेगा।
4) विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक में वार्षिकोत्सव की कार्ययोजना का खाका तैयार किया जायेगा। बैठक में विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों के साथ चर्चा कर कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जायेगा।
5) विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों को बैठक में मोहल्ला / वार्ड वार अभिभावक को वार्षिकोत्सव के आयोजन में शामिल होने हेतु व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया जायेगा।
6) वार्षिकोत्सव के पूर्व प्रधानाध्यापक के द्वारा विद्यालय में अभिभावक–अध्यापक बैठक का आयोजन किया जाय तथा वार्षिकोत्सव में बच्चो की सहभागिता एवं उनके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों ,खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रम में सहभागिता पर चर्चा करते हुए वार्षिकोत्सव में अभिभावकों की भागीदारी तथा उनके सहयोग पर सहमति ली जाय। उक्त बैठक से पूर्व प्रधानाध्यापक दीक्षा पर उपलब्ध कोर्स को अवश्य पूर्ण कर ले तथा बैठक के पश्चात सूचनाओं को प्रेरणा पर उपलब्ध अभिभावक–अध्यापक बैठक माड्यूल में अवश्य फीड करे।
7) प्रधानाध्यापक का दायित्व होगा कि विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक छात्र–छात्रा के माता–पिता / अभिभावक को आमंत्रण पत्र भेजकर अथवा व्यक्तिगत सम्पर्क एवं अन्य माध्यम से वार्षिकोत्सव की तिथि के बारे में 02 दिन पूर्व सूचित कर आमंत्रित करेंगे।
8) कार्यक्रम हेतु राज्य, जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों एवं छात्र–छात्राओं के माता–पिता / अभिभावक को कार्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित करने में लिया जा सकता है।

(...का रानी)

9) विद्यालय में प्रातः 10:00 बजे से 02:00 बजे अपराह्न तक वार्षिकोत्सव आयोजित किया जायेगा।

10) वार्षिकोत्सव में टेंट, साज–सज्जा एवं अभिभावकों के बैठने हेतु कुर्सियाँ आदि की व्यवस्था प्रधानाध्यापक द्वारा सुनिश्चित की जाऐगी।

11) कार्यक्रम के आयोजन के सम्बन्ध में विद्यालय के सेवित क्षेत्र में मुनादी, उद्घोषणा, व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना प्रदान कर कार्यक्रम में प्रतिभाग हेतु आमंत्रित किया जाऐगा।

12) प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय के अन्य अध्यापको का दायित्व होगा कि वार्षिकोत्सव के लिए समस्त माता–पिता/अभिभावकों के अतिरिक्त पूर्व एस.एम.सी.सदस्यों, पूर्व पंचायत सदस्यों और प्रधान, वर्त्तमान पंचायत सदस्यों एवं प्रधान, अन्य जनप्रतिनिधियों, समुदाय के सम्मानित सदस्यों को भी आमंत्रित करेंगे ।

13) वार्षिकोत्सव में समस्त अभिभावकों, पुरातन छात्रों, प्रतिनिधि पंचायत राज/स्थानीय प्राधिकारी, ऑगनवाड़ी कार्यकत्री, आशा एवं अन्य स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जायेगा।

14) वार्षिकोत्सव के दिन प्रस्तुतीकरण, पुरूस्कार वितरण तथा अतिथियों और अभिभावकों के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था की जायेगी।

15) विद्यालय में वार्षिकोत्सव से सम्बंधित एक सेल्फी प्वान्इट बनवाया जायेगा, जिसमें अभिभावक अपने बच्चों के साथ फोटो खिचवायेंगें। इससे अभिभावकों और बच्चों का विद्यालय के प्रति आकर्षण बढ़ेगा।

16) वार्षिकोत्सव में विद्यालय के समस्त अध्यापकों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाऐगी।

17) वार्षिकोत्सव का उद्घाटन जनप्रतिनिधियों से दीप जलाकर एवं पौधे लगाकर किया जाऐगा।

18) वार्षिकोत्सव के दिन परिषदीय विद्यालयों को स्वच्छ एवं सुसज्जित करते हुए अभिभावकों का स्वागत अध्यापकों एवं एस0एम0सी0 सदस्यों द्वारा किया जाऐगा, जिससे उनमें विशिष्टता का भाव उत्पन्न होगा।

वार्षिकोत्सव के दिन सांस्कृतिक गतिविधियों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जायेगा है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत् है:–

सांस्कृतिक कार्यक्रम	▪ शिक्षकों, बच्चों एवं अभिभावकों को सम्मिलित करते हुए आउट ऑफ स्कूल बच्चों अथवा निरन्तर अनुपस्थित होने के दुष्प्रभाव के विषय पर नाटक का मंचन किया जाए। ▪ छात्र–छात्राओं के साथ अभिभावकों को भी शिक्षा का महत्व, बच्चों की उपस्थिति, गृह आधरित शिक्षा तथा निरन्तर पढ़ाई जारी रखने सम्बन्धी विषय पर भाषण आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन। ▪ छात्र–छात्राओं के रचनात्मक कौशल वृद्धि के लिए गतिविधियाँ जैसे–वाद–विवाद, लेखन, ड्रांइग एवं पेंटिंग, रंगोली एवं पोस्टर बनाने प्रतियोगितायें भी करायी जाए। ▪ सांस्कृतिक विषयों पर आधारित नाटक/कहानी लेखन आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन। ▪ उच्च प्राथमिक स्तर छात्र–छात्राओं द्वारा विद्यालय में लर्निंग बाई डूइंग कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित वस्तुओं की स्टॉल का प्रदर्शन किया जायेगा।
पुरस्कार एवं सम्मान	▪ नामांकित बच्चों में से सर्वाधिक उपस्थिति वाले बच्चों को सम्मानित किया जाये। ▪ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्कृष्ट/अच्छा प्रदर्शन करने वालों में छात्र–छात्राओं को पुरस्कृत/सम्मानित किया जाए। ▪ कक्षा में सर्वाधिक उपस्थिति वाले छात्र–छात्राओं को पुरस्कार वितरण (प्रत्येक कक्षा हेतु प्रथम, द्वितीय एवम् तृतीय पुरस्कार।
कार्यक्रम की फोटो/वीडियो क्लिप	▪ समस्त छात्रों, शिक्षकों, माता–पिता/ अभिभावकों तथा अन्य अतिथियों की ग्रुप फोटोग्राफ अवश्य ली जाए। ▪ इसके साथ ही समस्त प्रतियोगिताओं, पुरस्कार–सम्मान समारोह तथा अन्य गतिविधियों की भी फोटो एवं छोटे–छोटे वीडियो क्लिप भी बनवाए जायें।

2. खेल उत्सव के आयोजन के आयोजन हेतु निर्देशः–

1) खेल उत्सव का आयोजन यथा सम्भव वार्षिकोत्सव के साथ कराया जायेगा।

2) खेल उत्सव के आयोजन से पूर्व विद्यालय में खेल–कूद से सम्बन्धित सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी तथा दौड़ प्रतियोगिता के लिए ट्रैक बनाया जायेगा।

वार्षिकोत्सव के दिन खेल–कूद आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जायेगा है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत् हैः–

कार्यक्रम	गतिविधियाँ
खेल–कूद	▪ कक्षा–3–5 के बच्चों के लिए 50 तथा 100 मीटर की दौड़। ▪ कक्षा– 5–8 के बच्चों के लिए 100 तथा 200 मीटर की दौड़। ▪ समस्त बच्चों की 4X100 मीटर की रिले रेस। ▪ यदि सम्भव हो तो अभिभावकों की भी रिले रेस अथवा दौड़ एवं अन्य खेलकूद की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा।
पुरस्कार एवं सम्मान	▪ खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र–छात्राओं को पुरस्कार वितरण (प्रत्येक कक्षा हेतु प्रथम, द्वितीय एवम् तृतीय पुरस्कार)

वार्षिकोत्सव एवं खेल उत्सव के आयोजन हेतु वित्तीय व्यवस्था–

1) विद्यालय प्रबन्ध समिति के नेतृत्व में वार्षिकोत्सव के आयोजन हेतु विद्यालय की साज–सज्जा, टेंट, कुर्सियां, दरी, पुरस्कार तथा समस्त अभिभावकों के जलपान आदि की व्यवस्था हेतु SMC Training मद से रूपये 1200/– प्रति विद्यालय की दर से आवंटित किया जाता है।

2) खेल उत्सव हेतु खेलकूद सामग्री की व्यवस्था एवं दौड़ प्रतियोगिता के लिए ट्रैक बनाये जाने हेतु Community Mobilization मद से रूपये 300/– प्रति विद्यालय की दर से आवंटित किया जाता है।

तदानुसार वार्षिकोत्सव एवं खेल उत्सव के आयोजन हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार जनपदों को लिमिट जारी की जा रही हैः–

जनपदवार परिषदीय एवं के0जी0बी0वी0 विद्यालयों में वार्षिकोत्सव एवं खेल उत्सव के आयोजन हेतु आवंटित धनराशि का विवरण

क्र. सं.	जनपद का नाम	परिषदीय विद्यालयों की संख्या	कुल के0जी0 बी0वी0 की संख्या	कुल परिषदीय एवं के0जी0बी0 वी0 की संख्या	वार्षिकोत्सव के आयोजन हेतु प्रति विद्यालय रू0 1200/– की दर से आवंटित धनराशि			खेल उत्सव के आयोजन हेतु प्रति विद्यालय रू0 300/– की दर से आवंटित धनराशि		
					परिषदीय विद्यालयो में वार्षिकोत्सव के आयोजन हेतु जनपदों को जारी लिमिट	केजी.बी.वी. में वार्षिकोत्सव के आयोजन हेतु जनपदों को जारी लिमिट	वार्षिकोत्सव के आयोजन हेतु आवंटित कुल धनराशि	परिषदीय विद्यालयों में खेल उत्सव के आयोजन हेतु जनपदों को जारी लिमिट	केजी.बी.वी. में खेल उत्सव के आयोजन हेतु जनपदों को जारी लिमिट	खेल उत्सव के आयोजन हेतु आवंटित कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	AGRA	2469	13	2482	2962800	15600	2978400	740700	3900	744600
2	ALIGARH	2093	13	2106	2511600	15600	2527200	627900	3900	631800
3	AMBEDKAR NAGAR	1563	8	1571	1875600	9600	1885200	468900	2400	471300
4	AMETHI	1551	13	1564	1861200	15600	1876800	465300	3900	469200
5	AURAIYA	1252	0	1252	1502400	0	1502400	375600	0	375600
6	AZAMGARH	2662	21	2683	3194400	25200	3219600	798600	6300	804900
7	BAGHPAT	519	2	521	622800	2400	625200	155700	600	156300
8	BAHRAICH	2808	15	2823	3369600	18000	3387600	842400	4500	846900
9	BALLIA	2223	16	2239	2667600	19200	2686800	666900	4800	671700
10	BALRAMPUR	1797	11	1808	2156400	13200	2169600	539100	3300	542400
11	BANDA	1713	8	1721	2055600	9600	2065200	513900	2400	516300
12	BARABANKI	2600	15	2615	3120000	18000	3138000	780000	4500	784500
13	BAREILLY	2457	18	2475	2948400	21600	2970000	737100	5400	742500
14	BASTI	2049	13	2062	2458800	15600	2474400	614700	3900	618600
15	BHADOI	874	5	879	1048800	6000	1054800	262200	1500	263700
16	BIJNOR	2100	14	2114	2520000	16800	2536800	630000	4200	634200
17	BUDAUN	2128	18	2146	2553600	21600	2575200	638400	5400	643800
18	BULANDSHAHR	1829	16	1845	2194800	19200	2214000	548700	4800	553500
19	CHANDAULI	1165	9	1174	1398000	10800	1408800	349500	2700	352200
20	CHITRAKOOT	1255	4	1259	1506000	4800	1510800	376500	1200	377700
21	DEORIA	2088	13	2101	2505600	15600	2521200	626400	3900	630300

22	ETAH	1676	8	1684	2011200	9600	2020800	502800	2400	505200
23	ETAWAH	1472	2	1474	1766400	2400	1768800	441600	600	442200
24	FAIZABAD	1776	10	1786	2131200	12000	2143200	532800	3000	535800
25	FARRUKHABAD	1563	5	1568	1875600	6000	1881600	468900	1500	470400
26	FATEHPUR	2111	10	2121	2533200	12000	2545200	633300	3000	636300
27	FIROZABAD	1810	3	1813	2172000	3600	2175600	543000	900	543900
28	G.B. Nagar	505	3	508	606000	3600	609600	151500	900	152400
29	GHAZIABAD	437	4	441	524400	4800	529200	131100	1200	132300
30	GHAZIPUR	2234	14	2248	2680800	16800	2697600	670200	4200	674400
31	GONDA	2577	17	2594	3092400	20400	3112800	773100	5100	778200
32	GORAKHPUR	2464	20	2484	2956800	24000	2980800	739200	6000	745200
33	HAMIRPUR	951	7	958	1141200	8400	1149600	285300	2100	287400
34	HAPUR	491	4	495	589200	4800	594000	147300	1200	148500
35	HARDOI	3410	20	3430	4092000	24000	4116000	1023000	6000	1029000
36	HATHRAS	1222	6	1228	1466400	7200	1473600	366600	1800	368400
37	JALAUN	1475	8	1483	1770000	9600	1779600	442500	2400	444900
38	JAUNPUR	2769	19	2788	3322800	22800	3345600	830700	5700	836400
39	JHANSI	1422	9	1431	1706400	10800	1717200	426600	2700	429300
40	AMROHA	1252	8	1260	1502400	9600	1512000	375600	2400	378000
41	KANNAUJ	1441	5	1446	1729200	6000	1735200	432300	1500	433800
42	KANPUR DEHAT	1904	1	1905	2284800	1200	2286000	571200	300	571500
43	KANPUR NAGAR	1764	0	1764	2116800	0	2116800	529200	0	529200
44	KASGANJ	1250	8	1258	1500000	9600	1509600	375000	2400	377400
45	KAUSHAMBI	1081	8	1089	1297200	9600	1306800	324300	2400	326700
46	KHERI	3075	16	3091	3690000	19200	3709200	922500	4800	927300
47	KUSHINAGAR	2433	14	2447	2919600	16800	2936400	729900	4200	734100
48	LALITPUR	1346	6	1352	1615200	7200	1622400	403800	1800	405600
49	LUCKNOW	1601	8	1609	1921200	9600	1930800	480300	2400	482700
50	MAHARAJGANJ	1700	13	1713	2040000	15600	2055600	510000	3900	513900
51	MAHOBA	834	4	838	1000800	4800	1005600	250200	1200	251400
52	MAINPURI	1894	3	1897	2272800	3600	2276400	568200	900	569100
53	MATHURA	1523	10	1533	1827600	12000	1839600	456900	3000	459900
54	MAU	1191	5	1196	1429200	6000	1435200	357300	1500	358800
55	MEERUT	1047	5	1052	1256400	6000	1262400	314100	1500	315600
56	MIRZAPUR	1805	10	1815	2166000	12000	2178000	541500	3000	544500
57	MORADABAD	1394	9	1403	1672800	10800	1683600	418200	2700	420900
58	MUZAFFARNAGAR	926	8	934	1111200	9600	1120800	277800	2400	280200
59	PILIBHIT	1483	9	1492	1779600	10800	1790400	444900	2700	447600
60	PRATAPGARH	2344	15	2359	2812800	18000	2830800	703200	4500	707700
61	PRAYAGRAJ	2790	20	2810	3348000	24000	3372000	837000	6000	843000
62	RAE BARELI	2271	16	2287	2725200	19200	2744400	681300	4800	686100
63	RAMPUR	1585	7	1592	1902000	8400	1910400	475500	2100	477600
64	SAHARANPUR	1415	9	1424	1698000	10800	1708800	424500	2700	427200
65	SAMBHAL	1273	10	1283	1527600	12000	1539600	381900	3000	384900
66	SANT KABIR NAGAR	1228	7	1235	1473600	8400	1482000	368400	2100	370500
67	SHAHJAHANPUR	2689	16	2705	3226800	19200	3246000	806700	4800	811500
68	SHAMLI	582	4	586	698400	4800	703200	174600	1200	175800
69	SHRAWASTI	973	5	978	1167600	6000	1173600	291900	1500	293400
70	SIDDHARTHNAGAR	2229	13	2242	2674800	15600	2690400	668700	3900	672600
71	SITAPUR	3480	20	3500	4176000	24000	4200000	1044000	6000	1050000
72	SONBHADRA	2064	9	2073	2476800	10800	2487600	619200	2700	621900
73	SULTANPUR	2039	12	2051	2446800	14400	2461200	611700	3600	615300
74	UNNAO	2683	13	2696	3219600	15600	3235200	804900	3900	808800
75	VARANASI	1130	6	1136	1356000	7200	1363200	339000	1800	340800
	कुल योग	131279	746	132025	157534800	895200	158430000	39383700	223800	39607500

वित्तीय निर्देश

1. वार्षिकोत्सव के आयोजन हेतु Training of SMC मद से परिषदीय विद्यालयों को कॉलम संख्या 6 में अंकित प्रति विद्यालय रू0 1200/– की दर से कुल धनराशि रू0 157534800 (रू0 पन्द्रह करोड़ पच्चहत्तर लाख चौतींस हजार आठ सौ मात्र) तथा के0जी0बी0वी0 को कॉलम संख्या 7 में अंकित कुल धनराशि रू0 895200 (रू0 आठ लाख पिचान्नवे हजार दो सौ मात्र) की लिमिट जारी की जा रही है।
2. खेल उत्सव के आयोजन हेतु Community Mobilization मद से परिषदीय विद्यालयों को कॉलम संख्या 9 में अंकित प्रति विद्यालय रू0 300/– की दर से कुल धनराशि रू0 39383700 (रू0 तीन करोड़ तिरानवे लाख तिरासी हजार सात सौ मात्र) तथा के0जी0बी0वी0 को कॉलम संख्या 10 में अंकित कुल धनराशि रू0 223800 (रू0 दो लाख तेइस हजार आठ सौ मात्र) की लिमिट जारी की जा रही है।

3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि राज्य परियोजना कार्यालय स्तर से धनराशि सीमा निर्धारण के 03 दिवस के भीतर पी0एम0श्री विद्यालयों को छोड़कर समस्त परिषदीय विद्यालयों के विद्यालय प्रबन्ध समिति के खाते में लिमिट जारी कर दी जाए।

4. कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालयों में वार्षिकोत्सव एवं खेल उत्सव के आयोजन हेतु लिमिट सीधे राज्य परियोजनाा कार्यालय द्वारा जारी की जा रही है।

5. उक्त धनराशि का व्यय निम्नलिखित निर्देशों के अधीन किया जायेगाः–

1) संदर्भित मद में व्यय किये जाने वाला वित्तीय नियमों/क्रय नियमों तथा समग्र शिक्षा के मैनुअल ऑन फाइनेंनसियल मैनेंजमेंट एण्ड प्रोक्योरमेंट 2024 के प्रावधानों एवं सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार करते हुए संलग्न उपभोग प्रमाण–पत्र राज्य परियोजना कार्यालय को अनिवार्यतः उपलब्ध कराया जाए।

2) उपर्युक्त मद में किए गये व्यय से सम्बन्धित बिल वाउचर्स जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास संरक्षित रखे जायें एवम् नियमानुसार आन्तरिक एवं वैधानिक सम्प्रेषण के समय प्रस्तुत किए जायेंगें।

3) व्यय का विवरण (मदवार) कार्य पूर्ण होने के उपरान्त राज्य परियोजना कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए।

4) जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में व्यय की जायेगी। मद विचलन मान्य नहीं होगा। आवंटित धनराशि से अधिक व्यय किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा।

5) दोहरे भुगतान की स्थिति में सम्बन्धित आहरण/वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

6) भुगतान/व्यय तथा बैंक से वास्तविक रूप से डेबिट होने के उपरान्त ही सम्बन्धित का व्यय प्रबन्ध पोर्टल के Training of SMC एवं Media and Community Mobilization मद में अंकित करना सुनिश्चित करें। किसी भी परिस्थिति में पी0एफ0एम0एस0 एवं प्रबन्ध पोर्टल के व्यय में भिन्नता प्रदर्शित न हो।

- Media and Community Mobilization PFMS Code F.01.09
- Training of SMC PFMS Code F.01.10

अनुश्रवण की व्यवस्थाः–

- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कम से कम 2 ब्लॉक के कुल 4 विद्यालयों में वार्षिकोत्सव एवं खेल उत्सव का अनुश्रवण किया जायेगा।
- सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा कम से कम 2 जनपदों के कुल 4 विद्यालयों में वार्षिकोत्सव एवं खेल उत्सव का अनुश्रवण किया जायेगा।
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कम से कम 2 ब्लॉक के कुल 4 विद्यालयों में वार्षिकोत्सव एवं खेल उत्सव का अनुश्रवण किया जाए।
- प्रत्येक एस.आर.जी. एवं ए0आर0पी0 द्वारा कम से कम 3 विद्यालयों में वार्षिकोत्सव एवं खेल उत्सव का अनुश्रवण किया जायेगा।
- खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा ब्लॉक के कुल 5 विद्यालयों में वार्षिकोत्सव एवं खेल उत्सव का अनुश्रवण किया जायेगा।
- प्रत्येक जिला समन्वयक द्वारा कम से कम 3 ब्लॉक के कुल 06 विद्यालयों में वार्षिकोत्सव एवं खेल उत्सव का अनुश्रवण किया जायेगा।
- प्रधानाध्यापक द्वारा वार्षिकोत्सव एवं खेल उत्सव की Geo tag फोटोग्राफ्स प्रेरणा पोर्टल के एस0एम0सी0 मॉडयूल पर अपलोड किया जायेगा।

उपर्युक्त निर्देश का शत–प्रतिशत अनुपालन कराते हुए विद्यालय स्तर पर वार्षिकोत्सव एवं खेल उत्सव का आयोजन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(मोनिका रानी)
राज्य परियोजना निदेशक

पत्रांक सामु0सह0/ वार्षिकोत्सव/ /2025–26 लखनऊ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
6. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल उत्तर प्रदेश।
7. सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
8. समस्त जिला समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
9. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकास खण्ड, उत्तर प्रदेश।

(मोनिका रानी)
राज्य परियोजना निदेशक